न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 25 / 2023

जी.सी.एस.एस. नं. : 2023 / 532

संजय कुमार पुत्र सुरजाराम सुथार, चक 1 एसजेएम, केयर ऑफ ई–सेवा केन्द्र 10 डीओएल, तहसील रावला, जिला अनूपगढ़

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, कलैक्ट्रेट एवं अति. जिला कलक्टर अनूपगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 24.01.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि आवेदक के द्वारा लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन दिनांक 12.10.2023 पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी हैं। लोक सूचना अधिकारी से निःशुल्क सूचना दिलाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी कलैक्ट्रेट एवं अति. जिला कलक्टर अनूपगढ से टिप्पणी प्राप्त की गयी। अति. जिला कलक्टर अनूपगढ़ के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन क्रमांक / आर.टी.आई / 2023 / 32 दिनांक 26.12.2023 के अनुसार आवेदक द्वारा चाही गयी सूचना जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर से संबंधित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर को कार्यालय के पत्रांक / आर.टी.आई / 2023 / 12 दिनांक 02.11.2023 द्वारा हस्तांतरित कर आवेदक को पत्रांक / आर.टी.आई / 2023 / 13 दिनांक 02.11.2023 के द्वारा सूचित कर दिया गया था। अपील खारिज योग्य हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को हस्तांतरित करते हुए आवेदक को सूचना प्रेषित कर दी थी। अतः लोक सूचना अधिकारी कलैक्ट्रेट एवं अति. जिला कलक्टर अनूपगढ़ के विरूद्ध अपील का कोई आधार नहीं हैं। अपील सारहीन होने के कारण खारिज किया जाना उचित हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ / पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 24.01.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:41:21 IST
Reason: SelfAttested

I.A.S
मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़